पी. मोहन रेड्डी आदि

बनाम

ई.ए.ए. चार्ल्स और अन्य.

फरवरी, 16, 2001

(जी.बी. पटनायक, के.जी. बालकृष्णन और बी.एन. अग्रवाल, जे.जे.)

सेवा कानून :

आंध्र प्रदेश राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम। 1961-नियम .4(ई) अंतर-वरिष्ठता; सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच-उप-तहसीलदार का पद-संभावित प्रभाव को देखते हुए 9.10.1980 को संशोधित नियम-23.9.1992 को संशोधित नियम-आवेदन (आधिकार) 9.10.1980 से सितंबर 1992 के बीच नियुक्त किए गए नियुक्तियों की वरिष्ठता पूर्व-संशोधित नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी आवश्यक है जो सितंबर 1992 में अस्तित्व में आए-आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-नियम 33

आंध्र प्रदेश राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम, 1961 के तहत, उप-तहसीलदार के कैडर में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा और आंध्र प्रदेश मंत्रिस्तरीय सेवाओं से स्थानांतरण द्वारा की जानी थीं और कैडर में वास्तविक रिक्तियों को सीधी भर्ती और 1:1 के अनुपात में स्थानांतरण भर्ती द्वारा भरा जाना था।

नियम में 09.10.1980 को संशोधन किया गया था, जिसमें नियम 4(ई) को शामिल किया गया था, जिससे इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता का अनुपात 1: 1 उस श्रेणी में मूल रिक्ति में उनकी पुष्टि की तारीख से निर्धारित की जाएगी।

संशोधित नियम की वैधता को के. वी. सुब्बाराव व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार व अन्य [1988] 2 एससीसी 201 के मामले में चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने माना कि संशोधित नियम केवल भावी रूप से लागू हो सकते हैं और नियमावली को बरकरार रखते हुए राज्य को कैडर में वास्तविक रिक्तियों की गणना करने और सीधी भर्ती का कोटा निर्धारित करने और सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए उपलब्ध रिक्तियों पर काम करने के बाद 50 प्रतिशत के आधार पर सीधी भर्ती से भरा जावे; एवं संशोधित नियम के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करना। वरिष्ठता सूची तैयार की गई।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष यह आक्षेप लगाते हुए आवेदन किए थे, कि सूची अदालत के फैसले के अनुसार तैयार नहीं की गई। 24.09.1992 को स्वीकृत मूल रिक्तियों के 30 प्रतिशत तक सीधी भर्ती को सीमित करके नियमों में और संशोधन किया गया और आगे प्रावधान किया गया कि नियम 4 (ई) के बावजूद, उप तहसीलदार के रूप में नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता का मानदंड निरंतर सेवा होगा, न कि रिक्तियों की संख्या एक अनुपात एक का पालन करते हुए। नियमों में संशोधन संभावित रूप से प्रभावी था और जिनकी सेवाएँ संशोधन की तारीख से पहले नियमित की जानी थीं, उनकी सेवाएँ पूर्व-संशोधित स्थिति द्वारा शासित होंगी और वरिष्ठता के क्रम में अनुमोदित परिवीक्षाधीनों की उपलब्ध रिक्ति की तारीख से अनुरूपताएं की जानी थीं। संशोधन से पहले नियुक्त सीधी भर्ती के उप-तहसीलदार नियम 4 (ई) के अनुसार अपनी वरिष्ठता तय करने के हकदार थे, जैसा कि उस समय था।

पदोन्नत तहसीलदारों ने दिनांक 24.09.1992 के संशोधित नियमों के तहत दिए गए मानदंडों के अनुसार अपनी वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने की प्रार्थना करते हुए अधिकरण से संपर्क किया। अधिकरण ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वरिष्ठता नियम 4(ई) के अनुसार तय की जाएगी, क्योंकि 24.09.1992 को लाए

गए संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया था और यह प्रकृति में संभावित था। प्रमोटियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसने अधिकरण के फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वरिष्ठता को संशोधित नियमों के अनुसार सेवा की कुल अवधि के आधार पर पुष्टि की तारीख के संदर्भ के बिना और नियम 4(ई) के संदर्भ के बिना तैयार किया जाना था।

इस अदालत में अपील में अपीलकर्ताओं/सीधी भर्ती वालों ने तर्क दिया कि 09.10.1980 और 23.09.1992 के बीच नियुक्त नायब तहसीलदारों की वरिष्ठता नियम 4(ई) के अनुसार निर्धारित की जानी थी, जैसा कि तब था और सितंबर 1992 के संशोधित नियमों में विकसित सिद्धांतों को लागू करके इसे बदला नहीं जा सकता था, और यह कि एक कर्मचारी के पास कैडर की ग्रेडेशन सूची में किसी विशिष्ट पद पर निहित अधिकार नहीं हो सकता है, फिर भी उन्हें अपनी नियुक्ति की तारीख पर लागू नियमों के अनुसार अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने का अधिकार था और नियमों के बाद के संशोधन द्वारा उस अधिकार को अस्थिर करना पूरे कैडर के लिए एक बड़ा अहित होगा, और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि सितंबर 1992 में लाए गए नियम, भले ही वे संचालन में पूर्वव्यापी नहीं थे, लेकिन वे प्रकृति में पूर्वव्यापी थे, इसलिए कैडर में मौजूदा उप-तहसीलदारों की वरिष्ठता संशोधित मानदंडों के अनुसार निर्धारित की जानी थी; और सुब्बाराव के मामले में दिए गए सकारात्मक निर्देश के मद्देनजर उच्च न्यायालय के लिए यह अनुमति नहीं है कि वह इस सिद्धांत को अपनाकर दिए गए निर्देश को दरकिनार कर दे कि वरिष्ठता को संशोधित मानदंडों के अनुसार फिर से तैयार किया जाना है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. दिनांक 10.04.1980 से सितंबर 1992 के बीच नियुक्त नायब तहसीलदारों की वरिष्ठता सितंबर 1992 में अस्तित्व में आए पूर्व-संशोधित नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी आवश्यक है, और भले ही, तथ्यात्मक रूप से ऐसी वरिष्ठता तैयार नहीं की गई हो फिर इसे पूर्व-संशोधित नियम में बताए गए मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, न कि संशोधित नियमों के अनुसार, जो सितंबर 1992 में अस्तित्व में आए।

2. भले ही कोई कर्मचारी किसी भी ग्रेड में कोई विशेष पद पाने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी वरिष्ठता उन नियमों के अनुसार निर्धारित करने का अधिकार है जो उस समय लागू थे जब वह कैडर में आया था। किसी संशोधित मानदंड या नियम के आधार पर संवर्ग में वरिष्ठता के पुन: निर्धारण का प्रश्न तभी उठेगा जब प्रश्न में संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा नियम की पूर्वव्यापीता पर हमला किया जाता है तो न्यायालय उसकी जांच करने और कानून के अनुसार मामले का फैसला करने का हकदार होगा। यदि नियम की पूर्वव्यापीता को अंततः रद्द कर दिया जाता है, तो आवश्यक रूप से संशोधित प्रावधानों के तहत वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने का सवाल ही नहीं उठेगा। हालाँकि, यदि किसी न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव को बरकरार रखा जाता है तो संशोधित प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता उन कर्मचारियों के लिए फिर से तैयार की जा सकती है जो अभी भी कैडर में हैं, न कि उन लोगों के लिए जिन्हें उस तिथि तक किसी अन्य कैडर में पदोन्नति मिल चुकी है। इसके अलावा वरिष्ठता के एक विशेष नियम पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उसके संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं, वरिष्ठता सूची तैयार करने के मामले में उस निर्देश का तब तक पालन किया जाना चाहिए जब तक नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा कोई वैध नियम अस्तित्व में नहीं आता है और अन्यथा की आवश्यकता नहीं होती है।

यदि कोई नियम या प्रशासनिक निर्देश किसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर वरिष्ठता सूची तैयार करने या परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण करने का आदेश देता है तो उसका पालन किया जाना चाहिए जब तक कि उसके अनुपालन न करने के लिए कोई वैध कारण न बताया जाए।

के.वी. सुब्बाराव व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार व अन्य [1988] 2 सेकंड एस.सी.सी. 201, में व्याख्याय की गई।

विंग कमांडर जे. कुमार बनाम भारत संघ, [1982] 2 एससीसी 116; भारत संघ व अन्य बनाम धनवंती देवी व अन्य, [1996] 6 एससीसी 44; भारत संघ व अन्य बनाम एम. रवि वर्मा व अन्य आदि [1972] 2 एससीआर 992; मर्विन कॉटिंडो व अन्य बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर व अन्य [1966]3 एससीआर 600; डी.पी. शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य,[1989] सप्ली.1 एससीसी 244; बी.एस.यादव व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य,[1981] 1 एससीआर 1024; पी.डी. अग्रवाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (1987) 3 एससीसी 622; गया बख्श यादव आदि बनाम भारत संघ व अन्य,[1996] 4 एससीसी 23; भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ बनाम भारत संघ,[1993] सप्ली.1 एससीसी730; प्रेम कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, [1998] 5 एससीसी 457; जम्मू एवं कश्मीर राज्य बनाम श्री त्रिलोकनाथ खोसा व अन्य, [1974] 1 एससीसी 19; पी.एस महली व अन्य बनाम भारत संघ, (1984) 4 एससीसी 545 और एके सुब्रमण बनाम भारत संघ, [1975]1 एससीसी 319, संदर्भित।

एसएस बोला व अन्य बनाम बी.डी. सरदाना व अन्य, [1997]8 एससीसी 522 और आर.एस मकाशी व अन्य बनाम आई.एम.मेनन व अन्य, [1982]1 एससीसी 379, विशिष्ठ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3056/1998

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. क्रमांक 20294 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 31.12.97 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 3055 और 3054/1998 ।

पी.पी. राव, एल. नागेश्वर राव, एच.एस. गुरुराजा राव, डी.ए. डेव, पी.एन. मिश्रा, जे.आर. मैक्कार्थी मनोहर राव. जयन्त मुथराज, डी. महेश बाबू, टी.वी. रत्नम, एम. सुरेंद्र डॉ. राव, आर. संथाना कृष्णन, डॉ. सुनील कुमार, के. राम कुमार, वाई.एस. राव, बी. श्रीधर और के. कृष्णा रेड्डी व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी संख्या 27 के लिए उपस्थित हुए सी.ए. संख्या 3054/98 में

टी. अनिल कुमार, पी. वेंकट रेड्डी और सुश्री मधुरिमा टाटिया उपस्थित पक्षकारों के लिए

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधीश पटनायक उप-तहसीलदारों के संवर्ग में परस्पर वरिष्ठता सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच विवाद का विषय है। जब मामले को दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो यह महसूस किया गया कि न्यायालय के दो निर्णयों के बीच कुछ विरोधाभास है, एक विंग कमांडर जे. कुमार बनाम भारत के मामले में, [1982] 2 उच्चत्तम न्यायालय प्रकरण 116, और केवी सुब्बाराव व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार व अन्य, [1988] 2 उच्चत्तम न्यायालय प्रकरण 201 के निर्णय में, जिसके लिए मामलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। अपीलकर्ता सीधे तौर पर भर्ती किए गए उप-तहसीलदार हैं और उनकी सेवा शर्तें आंध्र प्रदेश राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम, 1961 (इसके बाद 'विशेष नियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित होती हैं। विशेष नियमों के तहत नायब तहसीलदारों के संवर्ग में

नियुक्ति सीधी भर्ती या स्थानांतरण द्वारा की जा सकती है, राजस्व विभाग में कार्यरत आंध्र प्रदेश मंत्रालयिक सेवा के सदस्य से, जिसमें भूमि राजस्व आयुक्त, राजस्व निपटान का कार्यालय और निपटान, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख निदेशक का कार्यालय शामिल है। इसमें यह भी प्रावधान है कि संवर्ग में वास्तविक रिक्तियां सीधी भर्ती से और स्थानांतरण द्वारा भर्ती 1:1 के अनुपात में भरी जाएंगी। उपरोक्त विशेष नियम को 9.10.1980 को संशोधित किया गया था जिसमें नियम 4(ई) शामिल किया गया था और इसे 12.10.1961 को नियमों की घोषणा से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। संशोधित नियम 4(ई) में यह प्रावधान किया गया है उप-तहसीलदारों की श्रेणी में सीधे भर्ती किए गए लोगों और उप-तहसीलदारों की श्रेणी में पदोन्नत व्यक्तियों के बीच परस्पर वरिष्ठता 1:1 के अनुपात में उस श्रेणी में मूल रिक्ति में उनकी पुष्टि की तारीख से निर्धारित की जाएगी। जैसा कि नियम 3 के उपनियम (बी) में दिया गया है। इस न्यायालय में उपरोक्त संशोधित नियम की वैधता चुनौती का विषय थी के वी सुब्बा राव व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार व अन्य के मामले में (सुप्रा)। इस न्यायालय का मानना था कि संशोधित नियम केवल 9 अक्टूबर 1980 से प्रभावी हो सकते हैं और इनका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा। एक और निर्देश दिया गया कि राज्य फैसले की तारीख से 4 महीने के भीतर कैडर में वास्तविक रिक्तियों की गणना करेगा और उप-तहसीलदारों के पद पर सीधी भर्ती का कोटा निर्धारित करेगा। राज्य फैसले की तारीख से 4 महीने के भीतर कैडर में वास्तविक रिक्तियों की गणना करेगा और उप-तहसीलदारों के पद पर सीधी भर्ती का कोटा निर्धारित करेगा और उपलब्ध रिक्तियों में से काम करने के बाद सीधी भर्ती से भरा जाएगा। कुल संख्या के 50 प्रतिशत के आधार पर, उसके बाद 4 माह की अवधि के भीतर सीधी भर्ती करके इसे भरें। राज्य सरकार को 3 दिसंबर, 1988 को या उससे पहले नियम 4 (ई) के आधार पर एक वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त निर्देश के

अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी, लेकिन आरोप है कि इस न्यायालय के फैसले के अनुसार सूची सख्ती से तैयार नहीं की गई है, मूल आवेदन आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए थे। 24.9.1992 को 1961 के विशेष नियमों में और संशोधन किया गया और सीधी भर्ती के लिए अनुमोदित मूल रिक्तियों को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया और आगे यह प्रावधान करते हुए कि नियम 4(ई) के बावजूद, उप तहसीलदार के रूप में नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों के भाग II में सामान्य नियम 33 द्वारा शासित होगी, जिसके अनुसार सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच रिक्तियों I: I के अनुपात का पालन करके निरंतर सेवा और पुष्टि नहीं करना मानदंड होगा। भू-राजस्व आयुक्त ने निर्देश जारी किये कि नियमों में उपरोक्त संशोधन 24.9.1992 से प्रभावी हो रहा है, जिन व्यक्तियों की सेवाएँ उसी तिथि से पहले नियमित की जानी हैं, उनकी सेवाएँ पूर्वनिर्धारित स्थिति से शासित होंगी और पुष्टिकरण प्रभावी होगा वरिष्ठता क्रम में अनुमोदित परिवीक्षाधीनों की रिक्ति उपलब्ध होने की तिथि से। राज्य सरकार ने 14.8.1995 को एक स्पष्टीकरण आदेश भी जारी किया जिसमें कहा गया कि 24.9.1992 से पहले नियुक्त सीधी भर्ती वाले उप-तहसीलदार नियम 4(ई) के अनुसार अपनी वरिष्ठता तय करने के हकदार हैं, जैसा कि तब था। हालाँकि, पदोन्नत तहसीलदारों ने ट्रिब्यूनल से संपर्क किया और यह निर्देश देने की प्रार्थना की कि 24.9.1992 के संशोधित नियमों के तहत उन सभी की वरिष्ठता सूची फिर से तैयार की जाए, जो कैडर में बने हुए हैं और जिन्हें पदोन्नत नहीं किया गया है, किसी भी उच्च पद पर, इसलिए जिन व्यक्तियों को 9.10.1980 से 23.9.1992 की अवधि के बीच नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया है, उनकी वरिष्ठता रिमांड नियमों के आधार पर निर्धारित की जानी है। विधि विभाग के सचिव को उनकी राय के लिए संदर्भित किया गया है, जिन्होंने यह भी कहा था कि 9.10.1980 और 23.9.1992 के

बीच नियुक्त सभी लोगों की वरिष्ठता नियम 4(ई) द्वारा शासित होगी, क्योंकि यह इसके संशोधन से पहले था, न कि नए नियम द्वारा जो 24.9.1992 को लागू हुआ था। ट्रिब्यूनल ने प्रमोटियों द्वारा दायर आवेदनों को इस निर्देश के साथ खारिज कर दिया कि 9.10.1980 और 23.9.1992 के बीच सीधे उप-तहसीलदारों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता नियम 4 (ई) के अनुसार तैयार की जाएगी क्योंकि सितंबर 1992 में संशोधन लाया गया था। इसे कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है, और दूसरी ओर यह संभावित प्रकृति का है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ पदोन्नतियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली और यह मानते हुए कि वरिष्ठता को संशोधित नियमों के अनुसार सेवा की कुल अवधि के आधार पर, पुष्टि की तारीख के संदर्भ के बिना और नियम 4 (ई) के संदर्भ के बिना, जो संशोधन द्वारा डाला गया था, फिर से तैयार किया जाना है। जो 9 अक्टूबर 1980 के संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था, वर्तमान अपीलें विशेष सीधी भर्ती द्वारा दायर की गई हैं।

श्री पी.पी. राव. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील तर्क दिया गया कि सेवा में नियुक्त होने पर एक कर्मचारी अपनी नियुक्ति की तारीख पर लागू होने वाले नियमों के आधार पर अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने का हकदार है। और यह स्थिति होने के कारण, 9.10.1980 और 23.9.1992 के बीच नियुक्त उप-तहसीलदारों के संबंध में वरिष्ठता नियम 4(ई) के अनुसार निर्धारित की जानी है, जैसा कि तब था और सितंबर 1992 के संशोधन नियमों में शामिल सिद्धांतों को लागू करके इसे बदला नहीं जा सकता है। श्री राव ने आगे तर्क दिया कि किसी कैडर में निर्धारित वरिष्ठता को समय-समय पर संशोधित नियमों के आधार पर बार-बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा संशोधित नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाता है। विद्वान वकील ने यह भी आग्रह किया कि एक कर्मचारी के पास, हालांकि, किसी संवर्ग की ग्रेडेशन सूची में किसी विशिष्ट पद के

लिए निहित अधिकार नहीं हो सकता है, फिर भी उसे अपनी वरिष्ठता को उस तिथि पर लागू नियमों के अनुसार निर्धारित करने का अधिकार है। उनकी नियुक्ति और बाद में नियमों में संशोधन द्वारा उस अधिकार को ख़त्म करना पूरे कैडर के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। श्री राव ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश के नियम 4 के बाद से अधीनस्थ सेवा नियम हर साल अनुमोदित सूचियों पर विचार करते हैं और उन्हें तैयार करने का प्रावधान करते हैं, सूची तैयार करने के लिए नियुक्त किए गए लोगों की ओर से केवल निष्क्रियता और फिर बाद में नियमों में संशोधन के आधार पर अपीलकर्ताओं को अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने का अधिकार मिलता है। नियम 4(ई), जैसा कि 1992 के संशोधन से पहले मौजूद था, को हटाया नहीं जा सकता। श्री राव के अनुसार उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में हरियाणा मामले में इस न्यायालय के निर्णय एसएएस बोला व अन्य बनाम बी.डी. सरदाना व अन्य, [1997] 8 उच्चत्तम न्यायालय प्रकरण 522 में बताये गये अनुपात का पालन करने में गंभीर त्रुटि की है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि हरियाणा राज्य में विधायिका ने कानून बनाने और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव देने में हस्तक्षेप किया था, लेकिन इस मामले में, 1992 के संशोधित नियम भूतलक्षी प्रकृति का न होने के कारण नियमों के नए सेट के अनुसार कैडर में वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने का सवाल ही नहीं उठता।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यन्त दवे प्रमोटी-उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित, जिन्होने तर्क दिया कि एक सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता सेवा की शर्तें हैं और ऐसी सेवा में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नियम बनाने की शक्ति सरकार के पास निहित है, इसलिए राज्य सरकार के लिए नियमों में संशोधन करने पर कोई रोक नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर, यहां तक कि प्रश्नगत वरिष्ठता के निर्धारण के मानदंडों को बदलकर भी। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि सितंबर 1992 में लाए गए नियम,

भले ही पूर्वव्यापी प्रभाव में न हों, लेकिन यह निस्संदेह पूर्वव्यापी प्रकृति के हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि कैडर में मौजूदा उप-तहसीलदारों की वरिष्ठता तदनुसार निर्धारित की जानी होगी संशोधित मानदंडों के साथ एकमात्र निषेध यह है कि जो लोग पहले ही उच्च कैडर में पदोन्नत हो चुके हैं, उनकी वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने का सवाल ही नहीं उठता। यह स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय ने कैडर में उप-तहसीलदारों की वरिष्ठता को फिर से तैयार करने का निर्देश देना पूरी तरह से उचित ठहराया था, भले ही उन्हें 1980 से 23.9.1992 के बीच नियुक्त किया गया हो या नियम आने के बाद नियुक्त किया गया हो। श्री दवे ने आगे यह भी आग्रह किया कि यदि किसी कर्मचारी को वरिष्ठता सूची में किसी विशेष पद का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और नियम बनाने वाला प्राधिकरण, जिसके पास कर्मचारी की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति है, वरिष्ठता निर्धारित करने के मानदंडों को तैयार करने पर बदल देता है। संशोधित प्रावधान के अनुसार वरिष्ठता सूची में पदक्रम सूची में स्थिति में बदलाव हो सकता है, और स्थिति में इस तरह के बदलाव से कर्मचारी का कोई निहित अधिकार नहीं छिनता है, उस स्कोर पर कोई शिकायत नहीं की जा सकती है। श्री दवे का तर्क है कि इस सिद्धांत को कि जब भी नियमों में संशोधन किया जाता है, नियमों के अनुसार वरिष्ठता को फिर से निर्धारित किया जा सकता है, विंग कमांडर जे. कुमार (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है और इसकी पुनः पुष्टि इसी न्यायालय के बोला के मामले (सुप्रा) में की गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई खामी नहीं पाई जानी चाहिए।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरुराजा राव जो 1998 की सिविल अपील संख्या 3054 में प्रतिवादी संख्या 28 से 33 की ओर से उपस्थित है कथन किया कि यद्यपि इन उत्तरदाताओं को वास्तव में संशोधित नियमों के बाद नियुक्त किया गया था, लेकिन वास्तव में उन्हें पहले के फैसले के अनुसार नियुक्त किया गया था और, इस तरह,

उन्हें होना चाहिए संशोधित नियम लागू होने के बाद पहले नियुक्त माना गया और परिणामस्वरूप उनकी वरिष्ठता भी कानून के पूर्व-संशोधित प्रावधानों के अनुसार तैयार की जानी आवश्यक है।

1998 की सिविल अपील संख्या 3054 में कुछ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार ने श्री राव के तर्क का समर्थन किया और आग्रह किया कि नियमों में जो संशोधन किया गया है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा मामले में ऐसा किया गया है र इस प्रकार आक्षेपित निर्णय निष्प्रभावी हो गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सुब्बा राव के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए सकारात्मक निर्देश के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के लिए इस सिद्धांत को अपनाकर दिए गए निर्देश को दरकिनार करना स्वीकार्य नहीं होगा कि वरिष्ठता को फिर से तैयार किया जाना है। श्री राम कुमार के अनुसार विंग कमांडर जे. कुमार के मामले का अनुपात केवल इस आशय का है कि वैधानिक नियम प्रशासनिक आदेश पर हावी होगा और उसमें की गई कोई भी अन्य टिप्पणी बाध्यकारी मिसाल का प्रभाव नहीं डाल सकती है जिसे अदालत का निर्णय नहीं माना जा सकता है।अपने तर्क के समर्थन में वह धनवंती देवी एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [1996] 6 सुप्रीम कोर्ट मामलों 44 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। श्री राम कुमार ने आगे यह भी तर्क दिया कि 1980 से 1992 की अवधि के बीच सीधी भर्ती वाले उप-तहसीलदारों और पदोन्नत उप-तहसीलदारों के बीच अंतर वरिष्ठता के निर्धारण का सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा सुब्बा राव के मामले में तय किया गया था (सुप्रा) उस फैसले से प्राप्त अधिकार इसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने स्वयं संशोधन को पूर्वव्यापी प्रकृति का नहीं बनाया है। सीधी भर्ती के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नागेश्वर राव ने यह भी तर्क दिया कि कानून बनाने वाले प्राधिकरण का

इरादा कभी भी नए नियमों द्वारा पहले नियुक्त लोगों की वरिष्ठता को नियंत्रित करने का नहीं था। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अधीनस्थ सेवा नियमावली के नियम 4 में प्रत्येक वर्ष पालन करने की बाध्यता है, केवल इसलिए कि ऐसा नहीं किया गया है, नए नियमों के अनुसार वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिद्वंद्वी कथनों को देखते हुए सबसे पहला विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि सुब्बा राव के मामले (सुप्रा) में विवाद की प्रकृति और इस न्यायालय द्वारा दी गई राहत क्या थी? उपरोक्त मामले में आंध्र प्रदेश राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम 1961 के तहत सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच अंतर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नियम विचाराधीन था, इसके नियम 4(ई) को 9 अक्टूबर 1980 को संशोधित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वरिष्ठता उस श्रेणी में मूल रिक्ति में उनकी पुष्टि की तारीख से एक अनुपात एक में निर्धारित की जाएगी जैसा कि नियम 3 के उपनियम (बी) में प्रदान किया गया है। नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने भी उपरोक्त संशोधन को 12 अक्टूबर, 1961 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू कर दिया। इस न्यायालय ने अंततः नियम की वैधता को बरकरार रखा लेकिन केवल पूर्वव्यापी भाग को रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नियम 4(ई) के आधार पर, यानी 1:1 के अनुपात में पुष्टि की तारीख के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उपरोक्त निर्णय का प्रभाव यह है कि राज्य को कैडर में वास्तविक रिक्तियों की गणना करने और उप-तहसीलदारों के पद पर सीधी भर्ती के लिए कोटा निर्धारित करने और उपलब्ध रिक्तियों पर काम करने के बाद कुल संख्या के 50 प्रतिशत के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरने और फिर नियम 4(ई) के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार के लिए कहा गया था। सामान्यतः, इसलिए, लेकिन वर्ष 1992 में नियम में किए गए संशोधन के लिए, 9 अक्टूबर 1980 और 24 सितंबर 1992 की अवधि के बीच सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच उप-तहसीलदारों के संवर्ग में वरिष्ठता को इस न्यायालय के

उपरोक्त निर्णय के अनुसार तैयार किया जाना आवश्यक है। दरअसल भू-राजस्व आयुक्त ने ऐसे निर्देश जारी किये थे और प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी प्रमोटियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय के निर्देश का प्रभाव यह हुआ कि जहां तक 9.10.1990 से पहले भर्ती किए गए उप-तहसीलदारों की बात है, तो उनकी वरिष्ठता को 1980 के संशोधित नियमों के तहत फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में वही सामान्य नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाना था। यह देखना दिलचस्प है कि सुब्बा राव के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के सकारात्मक निर्देश के बावजूद, वास्तव में 1980 से 1992 की अवधि के बीच कोई वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार अधिकारियों की ओर से घोर लापरवाही हुई है, जिन्हें सुब्बा राव के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में एक वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता थी।

आइए अब हम बार में उद्धृत विभिन्न प्राधिकारियों की उनके संबंधित तर्कों के संबंध में जांच करें। भारत संघ और अन्य बनाम एम. रवि वर्मा और अन्य आदि के मामले में, [1972] 2 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 992, जिस पर श्री राव ने भरोसा किया था, विचारणीय प्रश्न यह था कि 22 दिसम्बर 1959 से पूर्व नियुक्त वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा। 22 जून, 1949 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए, जिसके तहत वरिष्ठता को सेवा की लंबाई के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक था, न्यायालय ने कहा कि 22 अक्टूबर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन से पहले की गईं नियुक्तियाेें को उनकी वरिष्ठता 22 जून, 1949 के पूर्व कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निर्धारित की जाएगी जो कि नियुक्ति के समय लागू नियमों के अनुसार है। इस मामले में न्यायालय ने मर्विन कॉटिंडो और अन्य बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर और अन्य, [1966] 3 सुप्रीम कोर्ट नियम 600 में पहले के फैसले पर भरोसा किया और यह

निर्णय, काफी हद तक श्री राव के तर्क का समर्थन करता है। डी.पी. शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1989] सप्लिम 1 सुप्रीम कोर्ट केस 224 में, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि यह सामान्य नियम है कि यदि वरिष्ठता को एक निश्चित अवधि में एक विशेष तरीके से विनियमित किया जाना है, तो उसे प्रभावी किया जाएगा और पूर्वव्यापी रूप से नुकसान पहुंचाने वाला परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस मामले में भी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए पहले का मानदंड निरंतर सेवा की अवधि था, जबकि बाद के नियमों में स्थायीकरण की तारीख के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रावधान था। इस न्यायालय ने माना कि बाद के नियम अधिकारियों के मौजूदा अधिकारों को हानि नहीं कर सकते, जिन्हें नियमों के लागू होने से बहुत पहले नियुक्त किया गया था। उन अधिकारियों को पहले से मौजूद ज्ञापन के अनुसार अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने का अधिकार था, जिसमें निरंतर सेवा की अवधि की गणना करने का प्रावधान था। यह निर्णय भी निस्संदेह, श्री राव के तर्क का समर्थन करता है और आगे मानता है कि एक कर्मचारी को अपनी नियुक्ति की तारीख पर लागू नियमों के अनुसार कैडर में अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने का मौजूदा अधिकार है।

बीएस यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि, [1981] 1 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 1024, के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में, न्यायालय न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के एक मामले पर विचार कर रहा था और फिर अंततः उच्च न्यायालय को उन सीधे भर्ती किए गए और पदोन्नत किए गए लोगों की परस्पर वरिष्ठता सूची फिर से तैयार करने का निर्देश दिया जो 31 दिसंबर 1976 से पहले सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में नियुक्त किए गए थे, उन्हें उनके लिए आवंटित पुष्टिकरण की तारीखों के आधार पर नियुक्त किया गया था और वे सभी जो संशोधित नियम 12 के अनुसार 31 दिसंबर 1976 के बाद सेवा में

इस पद पर नियुक्त किए गए थे। यह कहा जा सकता है कि संशोधित नियम 12 को 31 दिसंबर, 1976 को अधिसूचित किया गया था जो वरिष्ठता तय करने के लिए मार्गदर्शक मानदंड के रूप में एक कैडर पद पर निरंतर सेवा की अवधि निर्धारित करता है, जबकि उस तिथि से पहले के नियमों के तहत संवर्ग में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक कारक कर्मचारियों को आवंटित स्थायीकरण तिथि के आधार पर था। उपरोक्त संविधान पीठ का निर्णय, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से श्री राव के इस तर्क का समर्थन करता है कि कैडर में किसी कर्मचारी की वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख पर लागू नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी आवश्यक है, न कि किसी भी संशोधित नियम के तहत, जब तक कि संशोधित नियम स्वयं पूर्वव्यापी प्रकृति का न हो।

पी.डी. अग्रवाल और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य, [1987] 3 सुप्रीम कोर्ट केस 622, में कुछ अस्थायी सहायक इंजीनियरों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्त किया गया था और 1956 से सेवा प्रदान कर रहे थे। वरिष्ठता के लिए नियम यूपी इंजीनियर्स सेवा (भवन एवं सड़क शाखा) वर्ग II नियमावली का नियम 23 था। उस नियम को वर्ष 1971 में संशोधित किया गया। इस न्यायालय ने माना कि नियम 23 के प्रावधान के आधार पर यह 1971 में किए गए संशोधन से पहले था, अस्थायी सहायक अभियंता कानूनी रूप से सेवा के सदस्य होने की तारीख से अपनी वरिष्ठता की गणना करने के हकदार हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ऐसे पदों पर हैं जो वर्षों तक अस्थायी रहे। न्यायालय ने सीधी भर्ती वाले सहायक अभियंताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वे 1971 के संशोधित नियम 23 के तहत भर्ती किए गए हैं, उन्हें संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के आधार पर पदोन्नति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि संशोधित नियमों में प्रावधानित है। कोर्ट ने आगे कहा कि 1971 में पेश किया गया प्रतिस्थापित नियम 23 पहली नजर में अनुचित और मनमाना है क्योंकि इसका उद्देश्य एक सदस्य को उसकी वरिष्ठता की

गणना करने से सेवा से वंचित करना है, उसने खुद कहा था कि उसे मूल रिक्ति में नियुक्त नहीं किया गया था।

गया बख्श यादव आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1996] 4 सुप्रीम न्यायालय मामले 23, में 1961 के नियमों से पहले और बाद की अवधि के दौरान सीधी भर्ती और पदोन्नत सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताओं के बीच पारस्परिक वरिष्ठता का प्रश्न विचाराधीन था। उसमें भी वरिष्ठता के विषय को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम वर्ष 1961 में लागू हुए, जिन्हें सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता सेवा वर्ग II भर्ती नियम 1961 कहा जाता है, और उपरोक्त भर्ती नियमों के लागू होने से पहले कैडर में ऐसे सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताओं की वरिष्ठता समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जा रही थी और मर्विन कॉटिंडो (सुप्रा) में इस न्यायालय ने पदोन्नति के लिए कोटा प्रणाली को खारिज कर दिया था। इस न्यायालय ने अंततः माना कि मर्विन कॉटिंडो (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय से पहले नियुक्त किए गए मूल्यांकनकर्ताओं को कोटा रोटा फॉर्मूला के आधार पर उनकी वरिष्ठता मिलेगी, जबकि भर्ती नियमों के लागू होने के बाद नियुक्त किए गए मूल्यांकनकर्ताओं को भर्ती नियमों में दर्शाए गए निरंतर स्थानापन्नता के आधार पर उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ बनाम भारत संघ में, [1993] 1 सुप्रीम कोर्ट केस 730 में अखिल भारतीय सेवा में वरिष्ठता निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन था। उस मामले में इस न्यायालय ने कहा था कि वरिष्ठता में रुचि प्रासंगिक नियमों के तहत हासिल की जा सकती है, लेकिन वरिष्ठता या पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं है। उस मामले में विचार करने के लिए वास्तविक प्रश्न यह था कि क्या किसी विशेष क़ानून को पूर्वव्यापी प्रभाव वाला कहा जा सकता है जब भाषा स्पष्ट रूप से इसका

संकेत नहीं देती है। यह निर्णय वास्तव में वर्तमान मामले में सीधे तौर पर मुद्दे पर नहीं है, खासकर जब यह माना जाता है कि 1992 के नियम प्रकृति में संभावित हैं।

प्रेम कुमार वर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1998] 5 सुप्रीम कोर्ट केस 457 में, जिसमें हम में से एक (पटनायक, जे.) पक्षकार थे, रेलवे स्थापना नियमावली के पैराग्राफ 303 पर विचार करने पर, जो रेलवे सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रावधान था, न्यायालय ने माना कि जो पद जुलाई 1989 से पहले खाली थे और 5.5.1990 को किए गए संशोधन से पूर्व व्यक्तियों का चयन उस पर किया गया था उन भर्तियों की वरिष्ठता पूर्व-संशोधित पैराग्राफ 303 के आधार पर निर्धारित की जानी होगी, जबकि जिनकी भर्ती 5 मई, 1990 के बाद की गई थी, उनकी वरिष्ठता संशोधित मानदंडों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।उपरोक्त निर्णय का एक पहलू, इसलिए, स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि कैडर में एक कर्मचारी की वरिष्ठता लागू नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी आवश्यक है जब तक कि बाद के संशोधन को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाता है, और भले ही किसी कर्मचारी के पास पदक्रम सूची में कोई विशेष पद पाने का निहित अधिकार नहीं है, लेकिन उसे भर्ती के समय लागू नियमों के अनुसार अपनी वरिष्ठता निर्धारित कराने का अधिकार है और उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जब तक नियम बनाने वाला प्राधिकरण नियमों में संशोधन करके इसे कैडर के सभी मौजूदा कर्मचारियों पर लागू नहीं करता, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी वरिष्ठता पहले से मौजूद नियम के तहत पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।

प्रतियोगी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दवे ने जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम श्री त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य, [1974] 1 सुप्रीम कोर्ट केस 19 में न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। इस मामले में नियोक्ता की सेवा की शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से बदलने की शक्ति पर विचार

किया जा रहा था और उस संदर्भ में न्यायालय ने पाया था कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में एकतरफा बदलाव कर सकती है। और यद्यपि आधुनिक समय में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मामलों में सर्वसम्मति प्राप्त करने का अक्सर प्रयास किया जाता है, सेवाओं की संविदात्मक उत्पत्ति के बावजूद, सहमति सेवा के नियमों की वैधता की पूर्व शर्त नहीं है। हालाँकि वरिष्ठता का प्रश्न विचार का विषय नहीं था, लेकिन उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित श्री दवे ने अनुच्छेद 16 में न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था।

"किसी सेवा नियम के संचालन को पूर्वव्यापी के रूप में चिह्नित करना इस कारण से गलत है कि यह मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होता है। एक नियम जो पदोन्नति उद्देश्यों के लिए ऐसे कर्मचारियों को वर्गीकृत करता है, निस्संदेह उन लोगों पर लागू होता है जो नियम के निर्माण से पहले सेवा में आए थे, लेकिन यह भविष्य में लागू होता है, इस अर्थ में कि यह उन लोगों के भविष्य में पदोन्नति के अधिकार को नियंत्रित करता है जो पहले से ही सेवा में हैं।विवादित नियम पहले से की गई पदोन्नति को वापस नहीं लेते हैं या पहले से दिए गए वेतनमान को कम नहीं करते हैं। वे एक गुणात्मक मानक निर्धारित करके वर्गीकरण प्रदान करते हैं, उस मानक का माप शैक्षिक उपलब्धि है। क्या इस तरह के विचार पर स्थापित वर्गीकरण भेदभावपूर्ण दोष से ग्रस्त है, यह एक और मामला है जिस पर हम वर्तमान में विचार करेंगे लेकिन निश्चित रूप से, नियम को पहले पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है और फिर इस कारण से रद्द नहीं किया जा सकता है कि अतीत पर अपनी खुले हाथों से समान अवसर की गारंटी का उल्लंघन करता है। यदि सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम कभी भी उन लोगों के पूर्वाग्रह के तहत काम नहीं कर सकते जो पहले से ही सेवा में हैं, तो सेवानिवृत्ति की आयु अपरिवर्तनीय रहनी चाहिए और सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की योजनाएं पूर्वव्यापीता की चट्टान पर स्थापित होनी चाहिए। लेकिन ऐसा

सेवा नियमों का निहितार्थ नहीं है और न ही यह कहना उनका सही विवरण है कि क्योंकि वे मौजूदा कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं इसलिए वे पूर्वव्यापी हैं।"

उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से उस बिंदु पर प्रत्यक्ष निर्णय नहीं है जो वर्तमान मामले में विचार के लिए उत्पन्न हुआ है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित टिप्पणियों की कुछ प्रासंगिकता हो सकती है। विंग कमांडर जे. कुमार का मामला (सुप्रा) निस्संदेह मुद्दे पर एक सीधा मामला है और वरिष्ठता विचार के लिए विषय वस्तु थी। उस मामले में भी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत कर्मचारियों की वरिष्ठता रक्षा मंत्रालय द्वारा 18 मार्च, 1967 को जारी ज्ञापन के एक सेट के अनुसार निर्धारित की जा रही थी।नवंबर 1979 में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों का एक सेट प्रख्यापित किया, जिसे 'आर एंड डी संगठन सेवा नियमों के नियम और शर्तें कहा जाता है। उक्त नियमों के लागू होने से पहले नियुक्त व्यक्तियों ने तर्क दिया था कि उनकी वरिष्ठता नए नियमों से प्रभावित नहीं हो सकती है और इसे 18 मार्च, 1967 के ज्ञापन के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि, इस न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस आधार पर तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वैधानिक नियम प्रख्यापित किए गए हैं, कोई कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है अनुसंधान एवं विकास संगठन में वरिष्ठता की गणना उसकी अस्थायी नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में की जाती है। न्यायालय ने आगे यह भी कहा था कि यह एक स्थापित कानून है कि वरिष्ठता से संबंधित सेवा शर्तों में बाद के बदलावों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है जो नियमों में पेश किए जा सकते हैं और पदोन्नति की सुरक्षा की सीमा को छोड़कर जो पिछले नियमों के तहत पहले ही अर्जित किए जा चुके हैं, संशोधित नियम संबंधित सेवा में सभी व्यक्तियों की वरिष्ठता और भविष्य की पदोन्नति की संभावनाओं को

नियंत्रित करने के लिए काम करेंगे। उपरोक्त अवलोकन निस्संदेह श्री दवे के तर्क का समर्थन करता है। लेकिन यह देखा जा सकता है कि नियम 16 में वैधानिक नियम में "अब तक" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था और न्यायालय ने वैधानिक नियम में उपरोक्त अभिव्यक्ति को अधिनियमन के लिए तथ्यात्मक पृष्ठभूमि माना था, विशेषकर तब जब कर्मचारी ने वैधानिक नियम में स्वीकृत सिद्धांतों से किसी भी विचलन को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस सामग्री ध्यान में नहीं लाई। इसके अलावा, प्रशासनिक निर्देशों के एक सेट के तहत सिद्धांतों को वैधानिक नियम के एक सेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था और उस वैधानिक नियम ने भी कुछ संकेत दिए थे कि अतीत में अधिकारी की वरिष्ठता की गणना कैसे की जाती थी, अर्थात्, मेजर/स्क्वाड्रन लीडर/लेफ्टिनेंट कमांडर की वास्तविक रैंक की प्राप्ति के आधार पर। न्यायालय ने आगे कहा कि जब किसी सेवा के संबंध में वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाला एक वैधानिक नियम जारी किया जाता है, तो उक्त नियम इसकी घोषणा की तारीख से सेवा में कर्मियों को नियंत्रित करेगा और इस प्रकार भविष्य में नियम को प्रभावी करेगा, इसमें पूर्वव्यापीता का कोई तत्व शामिल नहीं है। यह अवलोकन काफी हद तक श्री दवे के तर्क का समर्थन करता है। लेकिन अधिकारियों की श्रृंखला के बारे में हमनें पहले चर्चा की है, हम इस निर्णय में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के तर्क को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं कि जब भी मानदंड बदलते हैं तो कर्मचारियों की वरिष्ठता को बार-बार फिर से निर्धारित करना पड़ता है।

आर.एस. मकाशी और अन्य बनाम एल.एम. मेनन और अन्य, [1982] 1 सुप्रीम कोर्ट केस 379 के मामले में, एक कैडर में वरिष्ठता के निर्धारण का प्रश्न, विभिन्न स्रोतों से लिए गए कर्मियों और एक नवगठित संगठन में विलय पर विचार किया जा रहा था। प्रासंगिक नियमों ने पहले से मौजूद वरिष्ठता की रक्षा की और उसी के रखरखाव को संरक्षित किया और इसे मनमाना और अनुचित होने के लिए चुनौती दी

गई। न्यायालय ने उन परिस्थितियों पर विचार किया जिनके तहत विभिन्न स्रोतों से लोगों को आकर्षित किया गया है और प्रतिनियुक्ति पर सेवा करने के लिए तैयार किया गया है और परिणामस्वरूप यह माना गया कि यह एक उचित और संपूर्ण सिद्धांत है जो आमतौर पर ऐसी स्थिति में लागू होता है कि मूल विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता का सम्मान किया जाना चाहिए और जब तक विभाग में बने रहें तब तक संरक्षित रखा जाना चाहिए और उस संबंध में प्रासंगिक नियम को अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है इसलिए, उपरोक्त निर्णय उस मामले की तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में है और वर्तमान मामले में किसी भी पक्ष के प्रतिद्वंद्वी रुख में मदद नहीं करता है।

एस.एस. बोला, (सुप्रा) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर ध्यान देना उचित होगा। यह वह निर्णय है जिस पर उच्च न्यायालय ने बहुत अधिक भरोसा किया। उस मामले में सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच वरिष्ठता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष सिद्धांत अपनाते हुए निर्णय लिया था और वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी। लेकिन हरियाणा विधानमंडल ने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम बनाया और उस अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था और विधायी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था क्योंकि पूरी वरिष्ठता स्थिति इस हद तक अस्त-व्यस्त हो गई कि एक सीधी भर्ती वाला सहायक कार्यकारी अभियंता, जो उस समय कैडर में भी शामिल नहीं था जब एक पदोन्नत व्यक्ति को उप अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था, वह उक्त पदोन्नत व्यक्ति से वरिष्ठ हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम की पूर्वव्यापीता के कारण अधिनियम के अनुसार वरिष्ठता को फिर से तैयार करने की आवश्यकता थी, अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा गया है। इस न्यायालय द्वारा एसएस बोला के मामले (सुप्रा) में तय किए गए सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे, क्योंकि,

माना जाता है कि संशोधित प्रावधान जो सितंबर 1992 में लागू हुए, वे प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय का बोला के मामले (सुप्रा) में पूर्वोक्त निर्णय के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था। इस समय, हम पी.स. महल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1984] 4 सुप्रीम कोर्ट केस 545 में इस न्यायालय के एक और फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 11 दिसंबर, 1974 के अपने फैसले में संकेत दिया था कि दो स्रोतों से पदोन्नत कार्यकारी अभियंताओं की परस्पर वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले किसी वैधानिक नियम के अभाव में, परस्पर वरिष्ठता ग्रेड में निरंतर पद पर रहने की अवधि के आधार पर 22 जून, 1949 के ज्ञापन में निर्दिष्ट सामान्य सिद्धांत पर निर्धारित की जानी चाहिए। इसके बाद नियम बनाने वाला प्राधिकरण अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों का एक सेट लेकर आया और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया, जिसका उल्लेख पहले किया गया था। जब वैधानिक भर्ती नियमों के आधार पर वरिष्ठता सूची का पुनः निर्धारण किया गया इस न्यायालय ने माना कि चूंकि पहले के फैसले में यह माना गया था कि 11 दिसंबर 1974 तक सहायक अभियंताओं के ग्रेड से पदोन्नत कार्यकारी इंजीनियरों की पारस्परिक वरिष्ठता निरंतर कार्य की अवधि के नियम द्वारा शासित होगी, वह निर्देश और निर्णय बाद के भर्ती नियमों के लागू होने और समान पूर्वव्यापी प्रभाव देने के कारण इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि भर्ती नियमों की घोषणा से पहले नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में वरिष्ठता एके सुब्रमण बनाम भारत संघ, [1975] 1 सुप्रीम कोर्ट केस 319 में निर्णय के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि भले ही कोई कर्मचारी किसी भी ग्रेड में किसी विशेष पद के लिए निहित अधिकार का दावा

नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने का अधिकार है उन नियमों के अनुसार जो उस समय लागू थे जब उनका कैडर में जन्म हुआ था। किसी भी संशोधित मानदंड या नियमों के आधार पर संवर्ग में वरिष्ठता के पुन: निर्धारण का प्रश्न तभी उठेगा जब प्रश्न में संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा नियम की पूर्वव्यापीता पर हमला किया जाता है तो न्यायालय उसकी जांच करने और कानून के अनुसार मामले का फैसला करने का हकदार होगा। यदि नियम की पूर्वव्यापीता को अंततः रद्द कर दिया जाता है, तो आवश्यक रूप से संशोधित प्रावधानों के तहत वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने का सवाल ही नहीं उठेगा, लेकिन यदि फिर भी, किसी न्यायालय द्वारा पूर्वप्रभावीता को बरकरार रखा जाता है तो वरिष्ठता उन कर्मचारियों के संशोधित प्रावधानों के अनुसार फिर से तैयार की जा सकती है जो अभी भी कैडर में हैं, न कि उन लोगों के लिए जिन्हें उस तिथि तक पहले से किसी अन्य कैडर में पदोन्नति मिल चुकी है। इसके अलावा वरिष्ठता के एक विशेष नियम पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उसके संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं, वरिष्ठता सूची तैयार करने के मामले में उस निर्देश का तब तक पालन किया जाना चाहिए जब तक कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा कोई वैध नियम नहीं आ जाता और अन्यथा की आवश्यकता है, जैसा बोला के मामले में किया गया था (सुप्रा)। यह आगे कहा जा सकता है कि यदि कोई नियम या प्रशासनिक निर्देश किसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर वरिष्ठता सूची तैयार करने या पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण का आदेश देता है तो उसका पालन किया जाना चाहिए जब तक कि इसके गैर-अनुपालन के लिए कोई वैध कारण न बताया जाए।

जब हम उपरोक्त सिद्धांतों से वर्तमान मामले की जांच करते हैं तो हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, कि सुब्बा राव के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर दिनांक 10.4.1980 से सितंबर 1992 के बीच नियुक्त नायब तहसीलदारों की

वरिष्ठता सितंबर 1992 में अस्तित्व में आए पूर्व-संशोधित नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी आवश्यक है। और यदि तथ्यात्मक रूप से ऐसी वरिष्ठता तैयार नहीं की गई है, तो इसे पूर्व-संशोधित नियम में बताए गए मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, न कि संशोधित नियमों के अनुसार, जो सितंबर 1992 में अस्तित्व में आए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में कहा है। इसलिए, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से त्रुटि में था और उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को रद्द कर दिया गया है। पदोन्नत उप-तहसीलदारों द्वारा दायर ओ.ए. को खारिज करने में अधिकरण पूरी तरह से उचित था। इस प्रकार उक्तानुसार, सीधे भर्ती किए गए लोगों द्वारा सिविल अपील की अनुमति दी जाती है और प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष पदोन्नत लोगों द्वारा दायर ओए खारिज कर दिया जाता है।

1998 की सिविल अपील संख्या 3054 में प्रतिवादी संख्या 28 से 33 की ओर से उपस्थित श्री गुरुराज राव का तर्क यह है कि उन्हें नियम लागू होने से पहले नियुक्त किया गया माना जाना चाहिए, इन अपीलों पर विचार नहीं किया जा सकता चूँकि यह निचली अदालतों में विवाद का विषय नहीं था और किसी भी कीमत पर, कैडर में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के सवाल पर सीधी भर्ती और पदोन्नत उप-तहसीलदारों के बीच विवाद की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

के.के.टी.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महावीर महावर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।